



142

CANC



LED.

CF 20/-

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

बाबूलाल तनय महादेव कुम्हार

निवासी- ग्राम बकस्वाहा, तह0 बकस्वाहा, जिला छतरपुर म0प्र0

I/ निगरानी/ छतरपुर/भूरा/2017/4245

.....आवेदक

B.O.R.

01 SEP 2017

वनाम

नंदलाल तनय महादेव कुम्हार,

निवासी- ग्राम बकस्वाहा, तह0 बकस्वाहा जिला छतरपुर म0प्र0

..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :-

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

यह कि आवेदक यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल बकस्वाहा, बकस्वाहा तहसील बकस्वाहा जिला छतरपुर द्वारा प्र0 क0 50/अ-12/2016-17 में स्वीकृत सीमांकन दिनांक 17/07/2017 से परिवेदित होकर प्रस्तुत कर रहा है। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

जन्म पंजीयन... द्वारा प्रस्तुत...  
आवेदक  
न्यायालय का... सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

Handwritten signature

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4245

बाबूलाल कुम्हार विरुद्ध नंदलाल कुम्हार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल बकस्वाहा, तहसील बकस्वाहा जिला-छतरपुर के प्र. क्र. 50/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17-07-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 09-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

(जे०के० जैन)  
सदस्य

22/08/19

श्री राजेश चंद्र प्रदीप लड्डा  
... .. द्वारा प्रस्तुत.  
... ..